छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र.29 /संपदा/एफ–130/2023 नवा रायपुर दिनांक 06/07 /2023

// आदेश //

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित अटल आवास योजनांतर्गत आबंटित भवनों बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि की ब्याज राशि में छूट की अवधि दिनांक 31.12.2023 तक वृद्धि करने बाबत्।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 72 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 के एजेण्डा क्रमांक 12 पर पारित संकल्प कमांक 1984/12/72/12/2022 में एवं मण्डल आदेश क्रमांक 04, दिनांक 27.01.2023 के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, अटल आवास योजनांतर्गत निर्मित/आबंटित भवनों के विरुद्ध हितग्राहियों के बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि के ब्याज की राशि में संपूर्ण छूट की अनुमति प्रदान की गई है। मण्डल के आदेश क्रमांक 14 दिनांक 10/03/2023 के माध्यम से मण्डल द्वारा अटल आवास योजनांतर्गत निर्मित/आबंटित भवनों के विरुद्ध हितग्राहियों के बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि के ब्याज की राशि में संपूर्ण छूट प्रदान करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारित की गई थी।

अतः हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अटल आवास योजनांतर्गत निर्मित/आबंटित भवनों के विरुद्ध हितग्राहियों को भवनों के बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि के ब्याज राशि में संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज की राशि में संपूर्ण छूट की समयावधि में मण्डल सम्मिलन से अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 31.12.2023 तक वृद्धि की जाती है। इससे मण्डल को होने वाली आय में वृद्धि होने की संभावना है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मान. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

6/7/23
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 1467/संपदा/एफ–130/2023 नवा रायपुर, दिनॉक 06/07/2023

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः–02

3. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03 रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग—नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/सक्ती/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/दंतेवाडा/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,03 रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र—नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/सक्ती/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/दंतेवाडा/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर